E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 01 / भू0अ0नि0(1)यो0बजट (आवंटन)–01 / 2021...4119

प्रेषक,

जय सिंह,भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनांक :–02-11-2021

विषय :– ऑनलाईन सेवाएँ अन्तर्गत ''ई–मापी'' के कार्यान्वयन हेतु ETS मशीन क्रय करने हेतु निधि का आवंटन।

प्रसंग :– राज्यादेश संख्या 02 (10) दिनांक 11.10.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक राज्यादेश का कृपया संदर्भ किया जाय। उक्त राज्यादेश के आलोक में बिहार राज्य में ऑनलाईन सेवाएँ अन्तर्गत ''ई–मापी'' के कार्यान्वयन हेतु राज्य के सभी 534 अंचलों के लिए प्रत्येक अंचल 01 अदद सभी 101 अनुमंडलों के लिए प्रत्येक अनुमंडल 01 अदद एवं सभी 38 जिलों के लिए प्रत्येक जिला 02 अदद की दर से ETS (Electronic Total Station) मशीन का क्रय GeM के माध्यम से किया जाना है।

ETS (Electronic Total Station) मशीन का क्रय GeM के माध्यम से करने हेतु मुख्य शीर्ष–2029–भू–राजस्व–उप मुख्य शीर्ष –00– लघु शीर्ष 102– सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य – उप शीर्ष –0101– सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत ईकाई कोड– 52 01 विषय शीर्ष मशीने एवं उपस्कर मद में वित्तीय वर्ष 2021–22 में राशि उपलब्धता के आधार पर तत्काल कुल **15,42,00,000/– (पन्द्रह करोड़ ब्यालीस लाख)** रूपये मात्र का आवंटन निम्नानुसार निर्गत किया जाता है :–

क्रम	जिला का नाम	गणित कुल ETS मशीनों की संख्या	स्वीकृत राशि @ 6.00 लाख प्रति ETS मशीन (राशि लाख में)	तत्काल राशि उपलब्धता के आधार पर आवंटित राशि (राशि लाख में)
1	2	3	4	5
1	नालंदा	25	150.00	48.00
2	मधुबनी	28	168.00	48.00
3	दरभंगा	23	138.00	48.00
4	गोपालगंज	18	108.00	42.00
5	सिवान	23	138.00	48.00
6	सारण	25	150.00	48.00
7	समस्तीपुर	26	156.00	48.00
8	भागलपुर	21	126.00	48.00
9	मुंगेर	13	78.00	30.00

क्रम	जिला का नाम	गणित कुल ETS मशीनों की संख्या	स्वीकृत राशि @ 6.00 लाख प्रति ETS मशीन (राशि लाख में)	तत्काल राशि उपलब्धता के आधार पर आवंटित राशि (राशि लाख में)
1	2	3	4	5
10	शेखपुरा	9	54.00	30.00
11	पटना	31	186.00	54.00
12	भोजपुर	19	114.00	42.00
13	बक्सर	15	90.00	36.00
14	कैमूर	15	90.00	36.00
15	रोहतास	24	144.00	48.00
16	पूर्वी चम्पारण	35	210.00	48.00
17	शिवहर	8	48.00	24.00
18	सीतामढ़ी	22	132.00	48.00
19	अररिया	13	78.00	30.00
20	किशनगंज	10	60.00	30.00
21	कटिहार	21	126.00	48.00
22	मुजफ्फरपुर	20	120.00	42.00
23	वैशाली	21	126.00	48.00
24	बेगुसराय	25	150.00	48.00
25	खगड़िया	11	66.00	30.00
26	लखीसराय	10	60.00	30.00
27	जहानाबाद	10	60.00	30.00
28	औरंगाबाद	15	90.00	36.00
29	गया	31	186.00	48.00
30	अरवल	8	48.00	24.00
31	पूर्णियाँ	20	120.00	48.00
32	सुपौल	17	102.00	42.00
33	मधेपुरा	17	102.00	42.00
34	सहरसा	14	84.00	36.00
35	बांका	14	84.00	36.00
36	पश्चिम चम्पारण	23	138.00	48.00
37	नवादा	18	108.00	42.00
38	जमुई	13	78.00	30.00
कुल योग :		711	4266.00	1542.00

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक – 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 02 (10) दिनांक 11.10.2021 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

3. राज्यादेश के आलोक में शेष राशि पुनः आवंटन उपलब्ध होने के उपरान्त जिलों को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

4. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।

5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या – 40 एवं विपत्र कोड **40 – 2029001020101** अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।

6. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी निदेशालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या 11650 दिनांक 21.12.2020 के साथ संलग्न प्रपत्रों में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

7. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नही समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।

11. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

12. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

13. आवंटित राशि का व्यय केवल GeM के माध्यम से ही क्रय के लिए ही मान्य होगा तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के समाहर्त्ता ही होंगे।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 2/11/21
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(1)यो0बजट (आवंटन)–01/2021...5119... **पटना, दिनांक** :–02-11-2021

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 2/11/21
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(1)यो0बजट (आवंटन)–01/2021 4119 **पटना, दिनांक** :– 02-11-2021

प्रतिलिपिः– संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(1)यो0बजट (आवंटन)–01/2021 4119 **पटना, दिनांक** :– 02-11-2021

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक/लेखा शाखा, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(1)यो0बजट (आवंटन)–01/2021 4119 **पटना, दिनांक** :– 02-11-2021

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(1)यो0बजट (आवंटन)–01/2021 4119 **पटना, दिनांक** :– 02-11-2021

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरीता कुमारी, प्रोग्रामर आई0टी सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को विभागीय वेबवाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप